राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

क्रमांकः एफ 3/मु./याता./निरी./15/ 472 दिनांकः 03/09/15

समस्त मुख्य प्रबन्धक
राजस्थान परिवहन निगम
.... आगार

पूर्व में मुख्यालय से माह में दो बार एस.एम.एस. के द्वारा दिये जा रहे अन्तर आगारीय एवं अन्तर्राज्जीय निरीक्षण कार्यक्रम के स्थान पर श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.7.2015 को प्रबंधक (यातायात)/यातायात निरीक्षक/सहायक यातायात निरीक्षकों की बैठक के क्रम में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. निरीक्षकगण अपने क्षेत्र में किसी भी आगार के वाहन का आकस्मिक निरीक्षण करें, जिसके लिए उन्हें किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। परन्तु उक्त निरीक्षण किसी परिचालक के विरुद्ध द्वेषतापूर्ण नहीं किया जावे।
2. प्रबंधक (यातायात)/निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि निगम वाहन बुकिंग ऐजेन्ट द्वारा एवं बस स्टैण्डों पर से सभी सवारीयों के टिकट जारी होने के बाद ही डी.एस.ए लेकर रवाना हो। सर्वर डाउन होने की स्थिति में मोबाइल ETIM के माध्यम से टिकट जारी किये जावे। इस हेतु मुख्य प्रबंधक समय–समय पर आकस्मिक जाँच करेंगें।
3. निरीक्षण के दौरान निरीक्षक वाहनों की संख्या मात्र की पूर्ती न करें। वाहन निरीक्षण के दौरान मात्रात्मक निरीक्षण के स्थान पर गुणवत्तात्मक निरीक्षण पर ज्यादा जोर दें।
4. बिना टिकट यात्री पाये जाने पर यदि परिचालक की ETIM खराब हो, तो वेबिल पर एवं परिचालक द्वारा ETIM न देने की स्थिति में ड्राइवर की लॉगशीट पर रिमार्क अंकित किया जावे। अभद्र व्यवहार की स्थिति में निरीक्षक सम्बंधित थाने में एफ.आई.आर दर्ज करावे एवं मुख्य प्रबंधक ऐसे मामलों में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।
5. बिना टिकट यात्री पकडे जाने पर निरीक्षक अपने द्वारा की जा रही कार्यवाही की वीडियो क्लिप बनाएंगे जिससे परिचालकों द्वारा गलत रिमार्क लगाये जाने वाली झुठी शिकायतों में कमी आवे।
6. निरीक्षण की गोपनीयता को बनाये रखने हेतु निरीक्षक बोलेरो के चालक के मोबाईल को निरीक्षण के समय जब्त करेंगे एवं बोलेरो चालक को प्रत्येक माह बदला जावे।
7. समस्त मुख्य प्रबंधक, प्रबन्धक (यातायात) एवं निरीक्षक आपसी समन्वय से कम आय देने वाले एवं आदतन Defaulter परिचालकों को चिन्हित कर, उनकी विशेष रूप से सघन निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।
8. निरीक्षक गण प्रभावी निरीक्षण हेतु अपने साथ स्टेज वाइज समय सारिणी, मार्ग एवं पॉकेट रूट हेतु राजस्थान रोड मैप, रात्रि निरीक्षण हेतु टोर्च, बारिश के मौसम में छाता/रेनकोट, सम्बंधित थाने/पी.सी.आर के मोबाइल नंबर इत्यादि रखेंगे।

उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से की जावे।

03/9/15

(राकेश राजोरिया)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)
दिनांकः 03/09/15

क्रमांकः एफ 3/मु./याता./निरी./15/ 472

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय रा. प. निगम जयपुर।
2 समस्त विभागाध्यक्ष ....रा.प. निगम जयपुर।
3 श्री ....प्रबन्धक(याता)/या.निरी./सहा.याता.निरी., द्वारा मुख्य प्रबन्धक।
4 आदेश पत्रावली।

3/9/15

कार्यकारी प्रबन्धक (संस्था/यातायात)